2024 INSC 428 **<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल अपील संख्या ______ वर्ष 2024</u>
(विशेष अनुमति याचिका [दीवानी] संख्या 12842 वर्ष 2018 से उत्पन्न)

मुकटलाल

... **अपीलकर्ता(गण)**

बनाम

कैलाश चंद (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

....**प्रतिवादी(गण)**

<u>हेडनोट्स</u>

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 14(1) – हिंदू महिला की संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होगी – हिंदू विधवा के कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार धारा – 14(1) के आधार पर अविभाजित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसके उत्तराधिकार के अधिकार को लागू करने का अधिकार, जब न तो विधवा और न ही उसके कानूनी उत्तराधिकारी के पास मुकदमे की भूमि का कब्जा हो––**निर्णय –** यह माना गया कि विधवा कभी भी दावे वाली संपत्ति के कब्जे में नहीं थी क्योंकि सिविल मुकदमा उसके द्वारा शीर्षक के साथ–साथ कब्जे से राहत का दावा करते हुए दायर किया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था और उसे केवल अविभाजित संपदा से रखरखाव प्राप्त करने का हकदार माना गया था – चूंकि, विधवा कभी भी दावे वाली संपत्ति के कब्जे में नहीं थी, इसलिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में, विभाजन के लिए राजस्व मुकदमा, जिसमें धारा 14 (1) के तहत पूर्ण स्वामित्व का दावा किया गया था, उत्तराधिकार के आधार पर उसके दत्तक पुत्र, वादी द्वारा बनाए नहीं रखा जा सकता था – इस प्रकार, राजस्व न्यायालय के फैसले और डिक्री को बहाल करने वाले आरोपित फैसले कि विधवा के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते वादी के पास विधवा के पति से संबंधित भूमि पर सहदायिक अधिकार हैं , बनाए नहीं रखा जा सकता है और निरस्त किया जाता है।

<u>निर्णय</u>

<u>मेहता, न्यायाधीश</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. विशेष अनुमति द्वारा तात्कालिक अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा डीबी विशेष अपील (रिट) संख्या 1029/2006 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 2 नवंबर, 2017 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1587/1993 में पारित दिनांक 21 जुलाई,

2006 के निर्णय की वैधता एवं विधिकता पर सवाल उठाते हुए अपीलकर्ता द्वारा पेश की गई अपील को खारिज कर दिया गया था।

3. सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को उनके राजस्व न्यायालय में प्राप्त पद के अनुसार संबोधित किया जाएगा ।

4. प्रकरण में उत्पन्न विवाद को समुचित दृष्टिकोण से समझने हेतु, पक्षकारों के पारिवारिक वंशवृक्ष/वंशावली को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।

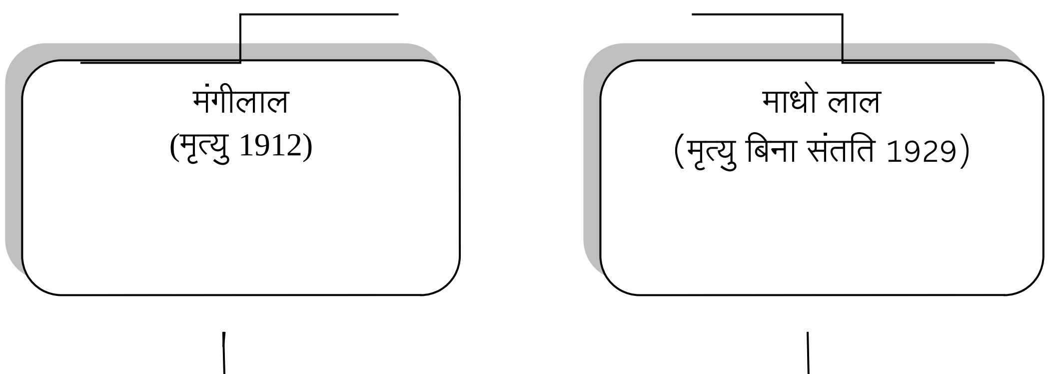

टनाओं का कालानुक्रमिक विवरण:–

दिनांक	घटना
किशनलाल की मृत्यु के पश्चात्, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संपत्ति उसके दो पुत्रों, मंगीलाल एवं माधोलाल, के मध्य उत्तराधिकार स्वरूप विभाजित हो गई।	
1912	मंगीलाल का देहांत हो गया। (जिनके पश्चात् उनके पुत्र कंवरलाल उत्तरजीवी रहे)
1929	माधोलाल का देहांत हो गया (निःसंतान थे, उनके पश्चात् उनकी विधवा – श्रीमती नंदकंवरबाई उत्तरजीवी रहीं)।
09.02.1949	कंवरलाल द्वारा अपने पुत्र मुकटलाल (जो कि इस अपील के अपीलकर्ता हैं) के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई।
1954	कंवरलाल का देहांत हो गया।
प्रथम चरण की न्यायिक कार्यवाही	
1958	श्रीमती नंदकंवरबाई ने वाद संपत्ति के संबंध में स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए सिविल वाद संख्या 11/1958 दायर किया।
21.05.1959	वाद संख्या 11/1958 निरस्त कर दी गई, तथापि सिविल न्यायाधीश ने यह अभिप्रेत किया कि श्रीमती नंदकंवरबाई को वाद संपत्ति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।
12.06.1959	श्रीमती नंदकंवरबाई ने कैलाश चंद (मूल प्रतिवादी) को गोद लिया।
12.07.1966	मुकट लाल ने सिविल वाद संख्या 11/1958 में पारित दिनांक 21.05.1959 के आदेश के विरुद्ध अपील संख्या 64/1966 पेश की।
09.02.1968	सिविल जज ने अपील संख्या 64/1966 को स्वीकार कर लिया और आदेश को इस सीमा तक निरस्त कर दिया कि इसने श्रीमती नंदकंवरबाई को वाद

	संपत्ति से भरण–पोषण का अधिकार प्रदान किया गया था। व्यथित होकर, श्रीमती नंदकंवरबाई ने एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या 347/1968 पेश की।
1972	श्रीमती नंदकंवरबाई का देहांत हो गया। 1973 में मृतक श्रीमती नंदकंवरबाई के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कैलाश चंद को प्रतिस्थापित किया गया।
20.03.1973	उच्च न्यायालय ने एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या 347/1968 को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि श्रीमती नंदकंवरबाई को, संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति में दिवंगत सहभाजक (coparcener) की विधवा होने के कारण, वादगत संपत्ति से भरण–पोषण का अधिकार प्राप्त है।
वर्तमान कार्यवाही	
20.06.1979	राजस्व वाद संख्या 37/1979 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 53 के अंतर्गत कैलाश चंद द्वारा, अपनी दत्तक माता श्रीमती नंदकंवरबाई के कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से, वादग्रस्त संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया था।
14.12.1983	राजस्व वाद संख्या 37/1979 को अनुमति दी गई और उपमंडल अधिकारी, बूंदी द्वारा फैसला सुनाया गया जिसमें यह माना गया कि श्रीमती नंदकंवरबाई के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते कैलाश चंद को माधो लाल की भूमि पर सहदायिक अधिकार है।
1984	मुकट लाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष आदेश दिनांक 14.12.1983 को चुनौती देते हुए अपील संख्या 12/1984 पेश की।
31.01.1986	राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपील संख्या 12/1984 को अनुमति दी और उपमंडल मजिस्ट्रेट, बूंदी द्वारा दिनांक 14.12.1983 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया।
1986	कैलाश चंद ने राजस्व बोर्ड, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील एस.ए. 120/1986 पेश की।
12.03.1992	राजस्व मंडल, अजमेर ने एस.ए. 120/1986 को खारिज कर दिया
1993	कैलाश चंद ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1587/1993 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा 12.03.1992 को पारित आदेश को चुनौती दी गई।
21.07.2006	माननीय एकल न्यायाधीश ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1587/1993 को स्वीकार किया तथा राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, कोटा एवं राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त कर दिया।
2006	मुकट लाल ने डिवीजन बेंच के समक्ष डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 1029/2006 के रूप में रिट अपील दायर की।
02.11.2017	माननीय खण्डपीठ ने डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 1029/2006 को खारिज किया तथा दिनांक 21.07.2006 को पारित माननीय एकल न्यायाधीश

	के आदेश को यथावत रखा।
06.02.2018	वर्तमान एस.एल.पी. पेश की गई।

5. इस अपील में शामिल कानून का मुख्य प्रश्न हिंदू विधवा श्रीमती नंदकंवरबाई के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते वादी कैलाश चंद के अधिकार के बारे में है कि वह राजस्व न्यायालय में वाद दायर करके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जिसे आगे ' उत्तराधिकार अधिनियम ' कहा जाएगा) की धारा 14(1) के आधार पर अविभाजित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने उत्तराधिकार के अधिकार को प्रवर्तित कर सके।
6. कुछ तथ्य, जो कि विवाद से सर्वाधिक प्रासंगिक एवं संबंधित हैं, तिथियों एवं घटनाओं की क्रमवार विवरणी से पृथक किए जाना आवश्यक है। वादग्रस्त संपत्ति मूलतः श्री किशनलाल के स्वामित्व में थी, जिनके दो पुत्र थे – मंगीलाल एवं माधोलाल। माधोलाल का विवाह श्रीमती नंदकंवरबाई से हुआ था। मंगीलाल का एक पुत्र था – कंवरलाल। मंगीलाल का देहांत वर्ष 1912 में हुआ, जबकि माधोलाल की मृत्यु संतानहीन अवस्था में वर्ष 1929 में हुई। श्रीमती नंदकंवरबाई ने वादी कैलाश चंद को दिनांक 12 जून, 1959 को गोद लिए जाने का दावा किया, जो कि माधोलाल की मृत्यु के लगभग 30 वर्ष पश्चात की तिथि है। कंवरलाल ने 9 फरवरी, 1949 को प्रतिवादी मुकट लाल (जो कि इस अपील में अपीलकर्ता हैं) के पक्ष में संपूर्ण अविभाजित संपत्ति की वसीयत निष्पादित की थी। श्री कंवरलाल का वर्ष 1954 में निधन हो गया। अतः उक्त वसीयत के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी मुकतलाल के पक्ष में उत्तराधिकारस्वरूप स्थानांतरित हो गई।
7. श्रीमती नंदकंवरबाई, स्वर्गीय माधो लाल की विधवा, ने सिविल वाद संख्या 11/1958 दायर कर वाद संपत्ति पर स्वामित्व की घोषणा एवं कब्जे की मांग की, यह प्रतिपादित करते हुए कि वाद में वर्णित संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है तथा स्वर्गीय कंवरलाल द्वारा निष्पादित वसीयतनामा अवैध है। वाद में यह भी कथन किया गया कि प्रतिवादी मुकतलाल को उक्त वसीयत के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सिविल न्यायालय द्वारा 21 मई 1959 को पारित निर्णय एवं डिक्री के द्वारा उक्त वाद खारिज कर दिया गया, किंतु न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि श्रीमती नंदकंवरबाई को वाद संपत्ति से से भरण–पोषण प्राप्त करने की सीमा तक मान्यता दी ।
8. श्रीमती नंदकंवरबाई ने उक्त निर्णय को आगे कोई चुनौती नहीं दी। हालांकि, प्रतिवादी मुकट लाल ने वयस्क होने पर 21 मई, 1959 के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की, जिसे विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने 9 फरवरी, 1968 के निर्णय के माध्यम से स्वीकार कर लिया और श्रीमती नंदकंवरबाई के पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया, जिसमें दावा की गई संपत्ति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार शामिल था।
9. व्यथित होकर, श्रीमती नंदकंवरबाई ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 347 /1968 प्रस्तुत की। उक्त द्वितीय अपील के लंबित रहने के दौरान, वर्ष 1972 में श्रीमती नंदकंवरबाई का निधन हो गया तथा उनके विधिक उत्तराधिकारी अर्थात वादी कैलाश चंद को अभिलेख (record) पर प्रतिस्थापित कर लिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा, दिनांक 20 मार्च, 1973 को पारित निर्णय के माध्यम से, श्रीमती नंदकंवरबाई द्वारा दायर द्वितीय अपील को स्वीकार किया गया और दीवानी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को, उनकी वाद सम्पत्ति से भरण–पोषण प्राप्त करने के अधिकार की सीमा तक पुनर्स्थापित कर दिया गया। फलस्वरूप, प्रतिवादी मुकट लाल की स्थिति, अपने पिता श्री कंवरलाल द्वारा किए गए वसीयतनामे का लाभार्थी एवं वाद संपत्ति का उत्तराधिकारी होने के रूप में स्थिर (crystallized) हो गई।
10. वादी कैलाश चंद ने राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद संपत्ति के विभाजन के लिए राजस्व वाद संख्या 37/1979 दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के आधार पर श्रीमती नंदकंवरबाई संपत्ति में उचित हिस्से की हकदार हैं।

11. वर्तमान अपील उपरोक्त राजस्व वाद संख्या 37/1979 से उत्पन्न हुई है, जिसमें विभाजन की मांग की गई थी, जिसका निष्कर्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 2 नवंबर, 2017 को पारित किए गए **आक्षेपित** निर्णय में हुआ ।

12. यह पुनः स्मरण कराया जाना उचित होगा कि वाद संपत्ति पर स्वामित्व (title) एवं कब्जे (possession) से संबंधित विवाद का निपटारा श्रीमती नंदकंवरबाई (मृत विधवा) के प्रतिकूल दिनांक 21 मई, 1959 को दीवानी वाद संख्या 11/1958 में पारित न्यायिक निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से हो चुका है। उक्त दीवानी वाद को सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामित्व एवं कब्जे से संबंधित राहत के संबंध में खारिज कर दिया गया था जबकि केवल भरण–पोषण प्राप्त करने के अधिकार को श्रीमती नंदकंवरबाई के पक्ष में स्वीकार किया गया था। यह निर्विवाद है कि श्रीमती नंदकंवरबाई ने उक्त दिनांक 21 मई, 1959 **के** निर्णय एवं डिक्री **को** चुनौती नहीं दी। फलस्वरूप, स्वामित्व एवं कब्जे की सीमा तक वह निर्णय अंतिम रूप से निर्णीत (attained finality) हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य भी निर्विवाद है कि श्रीमती नंदकंवरबाई कभी भी वाद संपत्ति के कब्जे में नहीं रहीं।

13. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण दलीलें पेश कीं और निवेदन किया कि खंडपीठ (Division Bench) ने विधिक दृष्टि से भूल करते हुए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया, तथा माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करते हुए राजस्व न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को पुनर्स्थापित कर दिया।

(i) यह कि श्रीमती नंदकंवरबाई का मुकदमे की भूमि में कोई सीमित या अन्यथा हित नहीं था, जो उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पूर्ण स्वामित्व में फलित हो सकता था और डिवीजन बेंच ने "भरण–पोषण के लिए संपत्ति पर अधिभार" को संपत्ति पर कब्जे के रूप में मानने में गलती की।

(ii) यह तर्क दिया गया कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) को लागू करने के लिए , "हिंदू महिलाओं के कब्जे में संपत्ति" होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान वाद में, श्रीमती नंदकंवरबाई द्वारा दायर कब्जे और स्वामित्व के लिए मुकदमा खारिज कर दिया गया था और इसलिए वह कभी भी वादग्रस्त संपत्ति पर, कानूनी या वास्तविक रूप से, कब्जे में नहीं थी

(iii) यह तर्क दिया गया कि श्रीमती नंदकंवरबाई द्वारा दाखिल स्वामित्व एवं कब्जे हेतु दीवानी वाद के खारिज हो जाने के पश्चात, दीवानी न्यायालय का वह निर्णय रेस जुडीकेटा (res judicata) के रूप में प्रभावी हो गया, और अतः बाद में राजस्व न्यायालय में दाखिल विभाजन वाद में उनके दत्तक पुत्र [वादी कैलाश चंद] को वह राहत प्रदान किया जाना कानूनन संभव नहीं था।

(iv) इस न्यायालय के निर्णय ***राम विशाल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य बनाम जगन्नाथ एवं अन्य*** में रखे गए सिद्धांतों पर निर्भर करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि श्रीमती नंदकंवरबाई कभी भी वादग्रस्त संपत्ति, जो कि कृषि भूमि थी, पर न तो उत्तराधिकार द्वारा और न ही भरण–पोषण के प्रतिफलस्वरूप, कब्जे में नहीं थीं, अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) को लागू नहीं किया जा सकता ताकि उनके दत्तक पुत्र [वादी कैलाश चंद] को संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जा सके।

(v) विद्वान अधिवक्ता, श्री जैन ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा **वसंत एवं अन्य बनाम दत्तू एवं अन्य** के निर्णय पर जो भरोसा किया गया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उक्त निर्णय उस स्थिति से संबंधित है जहाँ संयुक्त हिंदू परिवार में अनेक जीवित सहभाजक विद्यमान थे न कि किसी एकमात्र जीवित सहभाजक की स्थिति से।

अतः उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि वह अपील को स्वीकार करे एवं **आक्षेपित** निर्णयों को निरस्त करे।

14. *ई–कनवर्सो (E–converso),* माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विश्वजीत भट्टाचार्य, जो प्रतिवादियों ओर से उपस्थित हुए, ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों का प्रबल एवं दृढ़ विरोध

किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवार की संपत्ति पर किसी हिंदू स्त्री के अधिकारों के दायरे (ambit) के संबंध में धारा 14(1), उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाला विवाद इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले ***मुन्नी देवी उर्फ नाथी देवी (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम राजेन्द्र उर्फ लल्लू लाल (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य.*** में पूर्णतः निपट चुका है। उन्होंने ***मुन्नी देवी*** (सुप्रा) प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा किए गए प्रासंगिक टिप्पणियों (जो नीचे उद्धृत हैं) पर विशेष रूप से निर्भरता व्यक्त की तथा न्यायालय से निवेदन किया कि अपील को खारिज किया जाए और **आक्षेपित** निर्णयों की पुष्टि की जाए।

15. हमने बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों पर गहन विचार किया है तथा **आक्षेपित** निर्णय और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

16. अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन ने **आक्षेपित** निर्णयों को चुनौती देते हुए कहा कि मृतक विधवा श्रीमती नंदकंवरबाई के पास कभी भी मुकदमे की संपत्ति का कब्जा नहीं था और इसके परिणामस्वरूप, उनके दत्तक पुत्र, वादी कैलाश चंद को उत्तराधिकार के आधार पर मुकदमे की संपत्ति के विभाजन का दावा करने से रोक दिया गया था और इसलिए, राजस्व मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं था। उन्होंने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए श्रीमती नंदकंवरबाई द्वारा दायर मुकदमे में सिविल न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर भरोसा किया था।

17. प्रारंभ में यह उल्लेखनीय है कि जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है कि श्रीमती नंदकंवरबाई (दिवंगत विधवा) वादग्रस्त संपत्ति के कभी भी कब्जे में नहीं थीं, तो यह तथ्य अभिलेख से लगभग स्वीकारित स्थिति के रूप में स्पष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने दिनांक 21 मई, 1959 को पारित उस निर्णय और डिक्री को कभी चुनौती नहीं दी, जिसके माध्यम से उनके द्वारा स्वामित्व और कब्जे की घोषणा हेतु दायर दीवानी वाद को दीवानी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और उन्हें केवल अविभाजित संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अतः यह निर्विवाद है कि न तो श्रीमती नंदकंवरबाई और न ही वादी कैलाश चंद कभी वादग्रस्त भूमि के कब्जे में रहे।

18. ***मुन्नी देवी*** (सुप्रा) मामले में, जिस पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री भट्टाचार्य द्वारा प्रबल रूप से भरोसा किया गया, यह स्वीकारित तथ्य था कि भौंरी देवी, स्वर्गीय धन्नालालजी की विधवा, वादग्रस्त संपत्ति में उस समय वास्तव में निवास कर रही थीं जब सहभाजक श्री हरिनारायणजी जीवित थे, और उनकी मृत्यु के पश्चात भी वह उक्त मकान में निवासरत रहीं। वह उन किरायेदारों से, जो वादग्रस्त संपत्ति में रह रहे थे, मुकदमा दायर किए जाने की तिथि तक किराया वसूल करती रहीं।

19. इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की द्विसदस्यीय पीठ ने **मुन्नी देवी** (सुप्रा) मामले में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के परिप्रेक्ष्य में समग्र विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं: —

> "14. उपरोक्त के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि हिंदू महिला का भरण-पोषण का अधिकार एक खोखली औपचारिकता या अनुग्रह और उदारता के रूप में स्वीकार किया जाने वाला एक भ्रामक दावा नहीं था और न ही है। यह संपत्ति के विरुद्ध एक ठोस अधिकार है, जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से निकलता है। उक्त अधिकार को विशुद्ध शास्त्रीय हिंदू कानून द्वारा मान्यता दी गई और उसका पालन किया गया, जो 1937 या 1946 के अधिनियमों के पारित होने से पहले भी अस्तित्व में था। उन अधिनियमों ने केवल वैधानिक समर्थन दिया, जो शास्त्रीय हिंदू कानून के तहत मौजूद स्थिति को मान्यता देता है। जहां एक हिंदू विधवा अपने पति या पति के एचयूएफ की संपत्ति पर कब्जा रखती है, उसे उक्त संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है। वह भरण-पोषण के अपने अधिकार के बदले में उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने की हकदार है। धारा 14(1) और उसके स्पष्टीकरण में महिलाओं के पक्ष में उदार निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और बढ़ावा देना है। उक्त कानून द्वारा प्राप्त किया गया। **जैसा कि वी. तुलसाम्मा (सुप्रा) मामले में स्पष्ट किया गया है, धारा 14(1) में प्रयुक्त शब्द "कब्जे में" सबसे व्यापक संभव आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति शामिल है, भले ही हिंदू महिला के पास उस पर वास्तविक या भौतिक कब्ज़ा न हो। बेशक, यह भी समान रूप से स्थापित है कि विधवा का कब्ज़ा, किसी दावे, अधिकार या स्वामित्व के किसी निशान के तहत होना चाहिए, क्योंकि यह**

धारा किसी भी अधिकार या स्वामित्व के बिना किसी भी स्तर के अतिचारी के कब्जे पर विचार नहीं करती है।

15. वर्तमान प्रकरण में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि धन्नालालजी जो कि भौरी देवी के पति थे, का निधन वर्ष 1936 में हुआ। भौरी देवी के ससुर गणेशनारायणजी का निधन वर्ष 1938 में हुआ तथा गणेशनारायणजी के भाई हरिनारायणजी का निधन 11.11.1953 को हुआ। दौलालजी को श्री बख्शजी द्वारा वर्ष 1916 में गोद लिया गया था। हरिनारायणजी, गणेशनारायणजी और श्री बख्शजी सभी का एक सामान्य पूर्वज गोपालजी था। यह भी विवादित नहीं है कि वादग्रस्त संपत्ति हरिनारायणजी और गणेशनारायणजी के हाथों में पैतृक संपत्ति थी। **यह तथ्य भी निर्विवाद है कि भौरी देवी, हरिनारायणजी की मृत्यु से पूर्व उक्त संपत्ति में निवास कर रही थीं तथा उनके निधन के पश्चात् वह उक्त संपत्ति के कब्जे और प्रबंधन में रहीं और संपत्ति के एक भाग में निवास कर रहे किरायेदारों से किराया एकत्र कर स्वयं का भरण–पोषण कर रही थीं।**

16.अब अभिलेखों में विद्यमान दस्तावेज़ों से यह प्रतित होता है कि वादग्रस्त संपत्ति के एक भाग के संबंध में वर्ष 1955 से 1965 की अवधि के दौरान निष्पादित किरायानामा (प्रदर्श/दस्तावेज़ A–2 से A–11 तक) भौरी देवी के नाम पर निष्पादित किए गए थे। वाद में संबंधित प्रतिवादियों ने भी अपने लिखित बयान दाखिल किए थे जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि वे केवल भौंरी देवी को ही किराया अदा कर रहे थे। यह भी अभिलेख (प्रदर्श A–13) से परिलक्षित होता है कि दौलालजी ने भौंरी देवी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में गृह कर अदा किए जाने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई थी और नगर पालिका आयुक्त, जयपुर ने दिनांक 28.03.1957 के आदेश में यह अभिप्रेत किया कि भौंरी देवी पूर्व में भी उक्त कर का भुगतान करती रही हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध दौलालजी द्वारा नगर परिषद, जयपुर के प्रशासक के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथापि उक्त अपील को भी दिनांक 28.01.1959 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। "इस प्रकरण में स्वामित्व के संबंध में विवाद है। नगर आयुक्त जो कि पुनरावलोकन प्राधिकारी हैं ने अपने दिनांक 28.03.1957 के निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला कि भौंरी देवी जो पूर्व में नगरपालिका को कर अदा करती रही हैं उन्हें ही कर का भुगतान करना चाहिए और जहां तक स्वामित्व का प्रश्न है संबंधित पक्ष को उसका निवारण दीवानी न्यायालयों में प्राप्त करना चाहिए।"

17. उक्त दस्तावेज़ों से स्पष्ट रूप से प्रतित होता है कि भौंरी देवी वर्ष 1956 से पूर्व ही संपत्ति कर अदा कर रही थीं तथा 1956 से पहले और उसके पश्चात् भी किरायेदारों से किराया वसूल कर रही थीं। उल्लेखनीय है कि दस्तावेज़ प्रदर्श–54 (Exhibit–54) से यह प्रतित होता है कि वर्ष 1940 में भौंरी देवी, जब वह अपने ससुराल पक्ष के साथ रह रही थीं, के पास अपने भरण–पोषण का कोई स्वतः स्रोत नहीं था अतः उन्हें सरकार के पुण्य विभाग द्वारा प्रति माह 2.50 रू की दर से भरण–पोषण राशि स्वीकृत की गई थी। भौंरी देवी ने स्वयं को एक परदानशीं स्त्री बताते हुए उक्त भरण–पोषण राशि प्राप्त करने हेतु दौलालजी को अधिकृत किया था। उक्त दस्तावेज़ से स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित होता है कि भौंरी देवी वर्ष 1940 से वादग्रस्त भवन में निवासरत थीं। **यद्यपि परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों किंतु यह भली–भांति स्थापित हो चुका था कि भौंरी देवी वादग्रस्त आवासीय संपत्ति पर हरिनारायणजी की 1953 में मृत्यु से पूर्व और पश्चात भी कब्जे में थीं और उन्होंने उसके पश्चात भी अपना कब्जा बनाए रखा था। वे 1955 से लेकर वादी दौलालजी द्वारा वर्ष 1965 में वाद दायर किए जाने तक, वादग्रस्त भवन के कुछ भाग में निवासरत किरायेदारों से किराया एकत्रित कर रही थीं।**

18. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि भौंरी देवी का वादग्रस्त संपत्ति पर दीर्घकालीन और स्थायी कब्ज़ा था। जिसे उन्होंने अपने पूर्व–अस्तित्वशील भरण–पोषण के अधिकार के बदले में प्राप्त किया था और यह कब्ज़ा हिंदू विधि अधिनियम, 1956 के लागू होने से पूर्व का था। अतः धारा 14(1) के अधीन, उन्हें वादग्रस्त संपत्ति की पूर्ण स्वामित्वाधिकारिणी होने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। हरिनारायणजी की 1953 में मृत्यु के

पश्चात वादग्रस्त संपत्ति पर भौंरी देवी का विशिष्ट एवं एकाधिकारयुक्त कब्ज़ा, जो कि 1956 में हिंदू विधि अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व का था न केवल विवादित नहीं था अपितु स्वयं वादी दौलालजी द्वारा वादपत्र में स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त, अपने पति के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति से भरण–पोषण प्राप्त करने का उनका पूर्व–अस्तित्वशील अधिकार भी पूर्ण रूप से स्थापित एवं मान्य था। अपीलकर्ताओं की ओर से श्री जैन की यह दलील कि केवल भरण–पोषण का अधिकार मात्र से स्वतः किसी संपत्ति पर भार (charge) उत्पन्न नहीं होता और कि हिंदू महिला के भरण–पोषण के अधिकार को विधिक रूप से मान्यता देने हेतु किसी दस्तावेज़, व्यवस्था या समझौते का निष्पादन आवश्यक होता है, स्वीकार्य नहीं है। **उसका भरण–पोषण का पूर्व–अस्तित्वशील अधिकार, तथा संपत्ति पर उसका स्थिर विधिक कब्जा, इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि यह अनुमान लगाया जा सके कि उसके पास उस संपत्ति में किसी अधिकार या दावा का अवशेष विद्यमान था, भले ही कोई दस्तावेज निष्पादित न किया गया हो अथवा उसके पक्ष में भरण–पोषण के अधिकार को मान्यता देने हेतु कोई विशिष्ट भार संपत्ति पर निर्मित न किया गया हो।**

19. यह उल्लेखनीय है कि हरिनारायणजी द्वारा दौलालजी के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा में विवादित संपत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। वसीयत में केवल इतना कहा गया था कि हरिनारायणजी की जो भी चल अथवा अचल संपत्ति होगी वह दौलालजी पर उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित हो जाएगी। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वसीयत के संबंध में दौलालजी द्वारा दायर प्रोबेट कार्यवाही में ही विवादित संपत्ति को अनुसूची में दर्शाया गया था। यह सत्य है कि प्रोबेट न्यायालय द्वारा दौलालजी के पक्ष में प्रोबेट प्रदान करने के विरुद्ध भौंरी देवी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की गई और साथ ही हरिनारायणजी द्वारा भौंरी देवी के पक्ष में निष्पादित कथित वसीयत को भी वह (भौंरी देवी) प्रोबेट कार्यवाही में सिद्ध नहीं कर सकीं **तथापि, अपने पति के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति से भरण–पोषण के पूर्व–अस्तित्व वाले अधिकार, तथा विवादित संपत्ति पर 1956 के अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व और पश्चात् उसकी विशिष्ट और अनन्य स्थायी अभिरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह यह है कि भौंरी देवी ने उक्त संपत्ति अपने भरण–पोषण के पूर्व–अस्तित्वाधारित अधिकार के बदले में अर्जित की थी और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के प्रावधान के अनुसार वह उस संपत्ति की सीमित स्वामिनी नहीं अपितु पूर्ण स्वामिनी के रूप में उसे धारण कर रही थीं।**

20. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, हिंदू स्त्री का भरण–पोषण का अधिकार एक मूर्त अधिकार है, जो संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय है और यह अधिकार पति–पत्नी के आध्यात्मिक संबंध से उत्पन्न होता है। ऐसा अधिकार 1937 तथा 1946 के अधिनियमों के पारित होने से बहुत पहले शास्त्रीय हिंदू विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तथा आरोपित (enjoined) था। **जहाँ किसी हिंदू विधवा को उसके पति के संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) की संपत्ति पर विशेष रूप से स्थायी और विधिसम्मत कब्जे (exclusive settled legal possession) में पाया जाता है वहाँ यह स्वयं एक अनुमान (presumption) उत्पन्न करता है कि उक्त संपत्ति को उसके पूर्ववर्ती भरण–पोषण के अधिकार (pre–existing right of maintenance) की पूर्ति के लिए चिन्हित किया गया था। विशेष रूप से तब जब जीवित सह–हिस्सेदार (surviving co–parcener) ने उसके भरण–पोषण के अधिकार की पूर्ति हेतु कोई वैकल्पिक संपत्ति निर्धारित नहीं की हो। धारा 14(1) में प्रयुक्त शब्द "possessed by" (के पास होना/अधिग्रहण) तथा "acquired" (अर्जित किया गया) अत्यन्त व्यापक अर्थ प्रदान करते हैं और किसी संपत्ति के स्वामित्व की स्थिति (state of owning a property) को भी समाहित करते हैं।** यह धारा 14(1) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के बल पर है कि हिंदू विधवा का सीमित स्वत्वाधिकार स्वतः ही पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित हो जाता है, जब वह संपत्ति उसके पास होती है, चाहे वह संपत्ति 1956 के अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अर्जित की गई हो या बाद में, और वह संपत्ति उसके भरण–पोषण के अधिकार के बदले में प्राप्त हुई हो।

[जोर दिया गया]

20. अतः ***मुन्नी देवी*** (सुप्रा) मामले में किए गए उपर्युक्त अवलोकनों एवं निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने, भौंरी देवी के अपने पति के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति से भरण–पोषण के पूर्ववर्ती अधिकार (pre–existing right to maintenance) तथा वादग्रस्त संपत्ति पर उनके अनन्य एवं स्थायी वैधानिक कब्जे (exclusive settled possession) को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भौंरी देवी ने उक्त वादग्रस्त संपत्ति को अपने पूर्ववर्ती भरण–पोषण के अधिकार के प्रतिफलस्वरूप (in lieu thereof) अधिग्रहीत किया था, और उन्होंने उक्त संपत्ति को उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के अधीन सीमित स्वामित्व के रूप में नहीं, अपितु पूर्ण स्वामित्व के रूप में धारण किया।

21. इस तरह से, वर्तमान वाद में हमें जिस प्रश्न का न्यायिक निर्णय करना है, वह यह है कि क्या वादग्रस्त संपत्ति पर वास्तव में अथवा विधिक रूप से किसी प्रकार के कब्जे के अभाव में, वादी कैलाश चंद, जो कि श्रीमती नंदकंवरबाई के विधिक उत्तराधिकारी हैं, संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति पर विधवा के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के आधार पर विभाजन हेतु एक राजस्व वाद *(Revenue Suit)* दायर करने के अधिकारी थे। इसी संदर्भ में, हम इस न्यायालय के उन निर्णयों का सहायतार्थ उल्लेख करना उपयुक्त समझते हैं, जिन पर अपीलकर्ता पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन द्वारा संदर्भित किया गया ।

22. राम विशाल (सुप्रा) के प्रकरण में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया:–

> "16. हमारे विचार में, रघुवर सिंह [(1998) 6 एससीसी 314] के वाद में दी गई विधिक व्यवस्था प्रतिवादी के लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं है **जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अधीन पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने के लिए पूर्व–अस्तित्व में कोई अधिकार (पूर्ववर्ती अधिकार) होना अनिवार्य (sine qua non) है। किसी हिंदू स्त्री के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल उक्त संपत्ति के स्वामित्वाधीन (possessed of) हो अपितु उसने उक्त संपत्ति का अधिग्रहण (acquisition) भी किया हो। ऐसा अधिग्रहण या तो उत्तराधिकार (inheritance) अथवा वसीयतनामा (devise) के माध्यम से या विभाजन (partition) में अथवा भरण–पोषण या उसके बकाये के भरण–पोषण के एवज में (in lieu of maintenance or arrears of maintenance), अथवा उपहार (gift) द्वारा अथवा अपनी स्वयं की योग्यता या परिश्रम (own skill or exertion) से अथवा खरीद (purchase) द्वारा या अधिकार स्थापन (prescription) के माध्यम से किया गया हो।** वर्तमान प्रकरण में किसी पक्ष ने यह अभिकथन (assertion) नहीं किया है कि **मांकी** को 1/4 भाग का *स्वामित्वाधिकार* भरण–पोषण के एवज में या उसके बकाये के रूप में प्राप्त हुआ था। यह भी किसी पक्ष का कथन नहीं है कि संपत्ति का कोई विभाजन हुआ था और उस विभाजन में मांकी को उक्त संपत्ति प्रदान की गई थी। सिर्फ़ भरण–पोषण का एक अधिकार (mere right of maintenance), बिना किसी विधिसम्मत अधिग्रहण (without actual acquisition in any manner), धारा 14 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

[जोर दिया गया]

23. इसके अतिरिक्त, एम**. शिवदासन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य, बनाम ए. सौदामिनी (मृत), द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य** के मामले में, इस माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया:––

> "4. वादी द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया तथा उक्त निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा भी यथावत् अनुमोदित (upheld) किया गया। इन न्यायालयों का यह अभिप्राय था कि सामी वैद्यर की मृत्यु के उपरांत, वर्ष 1942 में ही उनके पुत्र सुकुमारन ने उक्त संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त

कर लिया था। उसके पश्चात्, सुकुमारन तथा उसके बाद सुकुमारन के उत्तराधिकारी संतानें उक्त संपत्ति पर अधिकार रखती थीं जो कि निर्विवाद रूप से उनके ही कब्जे में रही। इस प्रकार, इस प्रकरण में धारा 14 की उपधारा (1) का कोई प्रवर्तन नहीं होता। **धारा 14 की उपधारा (1) का मूल तत्व (essential ingredient) है —— संपत्ति पर अधिकारपूर्वक (वैध) कब्जा। स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी कभी भी उक्त संपत्ति के कब्जे में नहीं रही। संपत्ति पर कब्जा सदैव प्रतिवादी का ही रहा और अतः इस कारण से धारा 14 की उपधारा (1) का इस मामले में कोई प्रवर्तन नहीं होता।** राम विशाल (मृत), द्वारा विधिक प्रतिनिधियों बनाम जगन्नाथ, (प्रकाशित: (2004) 9 एससीसी 302) में, यह स्थिति पुष्टि की गई कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी दावा को बनाए रखने के लिए कब्जा **(possession)** एक पूर्व–आवश्यक तत्व (pre–requisite) है।इस संबंध में अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित कथन उद्धृत किया गया है:

> '16. हमारे दृष्टिकोण में, रघुबर सिंह [(1998) 6 एससीसी 314] में प्रदत्त विधिक सिद्धांत प्रतिवादी के लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकता। **जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अधीन पूर्ण स्वामित्व प्रदान किए जाने के लिए पूर्ववर्ती अधिकार (pre–existing right) अनिवार्य शर्त (sine qua non) है। हिंदू स्त्री के लिए आवश्यक है कि वह न केवल संपत्ति के वैध कब्जे में हो बल्कि उसने वह संपत्ति वैध रूप से अर्जित भी की हो।** ऐसा अधिग्रहण या तो विरासत या वसीयत के माध्यम से या विभाजन के माध्यम से या "भरण–पोषण या भरण–पोषण के बकाया के बदले" या उपहार के रूप में या अपने कौशल या परिश्रम से या खरीद के माध्यम से या निर्धारण के माध्यम से होना चाहिए...'

5.उस समय प्रचलित विधि के अनुसार, जो उस कालखंड में लागू थी । कृषि भूमि का उत्तराधिकार पुत्र को प्राप्त होता था जबकि पुत्रियों को केवल विवाह तक भरण–पोषण का सीमित अधिकार प्राप्त होता था। विधवा को संपत्ति से उत्पन्न आय से अपने जीवनकाल या पुनर्विवाह तक भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता था। दिनांक 12.03.1938 के पारिवारिक समझौता विलेख के अनुसार जिस पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया गया, विवादित संपत्ति विशेष रूप से सामी वैद्यर एवं उनके एकमात्र पुत्र सुकुमारन को आवंटित की गई थी। अतः, सामी वैद्यर की विधवा, अर्थात् चोइची, का उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार स्थापित नहीं होता। सभी अधीनस्थ न्यायालयों का यह स्पष्ट निष्कर्ष था कि चोइची कभी भी उस संपत्ति के कब्जे में नहीं रही और इसलिए वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के अंतर्गत जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया, कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती।

[जोर दिया गया]

24. उपरोक्त निर्णयों के अनुपात (ratio) के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत अविभाजित संयुक्त परिवार संपदा पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होनी चाहिए और ऐसा अधिग्रहण या तो उत्तराधिकार या वसीयत के माध्यम से या विभाजन में या "भरण–पोषण या भरण–पोषण के बकाया के बदले में" या उपहार के रूप में या उसके अपने कौशल या परिश्रम से या खरीद के माध्यम से या निर्धारण के माध्यम से होना चाहिए।

25. यहाँ तक कि जब वादी कैलाश चंद द्वारा दायर राजस्व वाद (Revenue Suit) में विभाजन की याचिका की अभ्यावेदन–पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि वादी पत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि संकेत मात्र भी नहीं कि श्रीमती नंदकंवरबाई अथवा स्वयं वादी कैलाश चंद कभी भी विवादित संपत्ति के कब्जे में रहे हों। वास्तविकता यह है कि यह वाद इस

आधार पर दायर किया गया कि विवादित संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति (Joint Hindu Family Property) है और प्रतिवादी मुकट लाल (जो इस अपील में अपीलकर्ता हैं) ने वादी कैलाश चंद की मांग पर विवादित संपत्ति का आधा हिस्सा देने की सहमति व्यक्त की थी हालांकि, प्रतिवादी मुकट लाल ने इस दावे का स्पष्ट खंडन किया।

26. इस संदर्भ में, जब हम स्वर्गीय विधवा श्रीमती नंदकंवरबाई द्वारा दायर पूर्ववर्ती दीवानी वाद (civil suit) के प्रभाव का विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह विवादित संपत्ति के कभी भी कब्जे में नहीं थीं क्योंकि उक्त दीवानी वाद उन्होंने स्वामित्व तथा कब्जे दोनों की राहत की मांग करते हुए दायर किया था और उक्त वाद खारिज कर दिया गया था। सिविल कोर्ट के इस निष्कर्ष को कभी चुनौती नहीं दी गई चूँकि श्रीमती नंदकंवरबाई कभी भी विवादित संपत्ति के कब्जे में नहीं थीं इसलिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व का दावा करते हुए दायर राजस्व वाद उनके दत्तक पुत्र वादी कैलाश चंद द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर नहीं चलाया जा सकता था।

27. जब माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ तथा खंडपीठ द्वारा प्रदत्त निर्णयों का निकटता से परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि इन निर्णयों में कहीं भी इस बात पर विचार नहीं किया गया कि वादी कैलाश चंद के पूर्ववर्ती अथवा स्वयं वादी कभी विवादित संपत्ति के कब्जे में थे या उन्होंने उक्त संपत्ति का अर्जन वैसे ही किया था जैसा कि निर्णय ***एम. शिवदासन*** *(सुप्रा)* में निर्दिष्ट किया गया है।

28. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय न्यायिक परीक्षण की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं और विधिक रूप से स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकते।

29. परिणामस्वरूप, दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को माननीय खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय तथा दिनांक 21 जुलाई, 2006 को माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय को विलोपित एवं निरस्त किया जाता है।

30. तदनुसार, वादी द्वारा वर्ष 1979 में दायर राजस्व वाद संख्या 37 को खारिज किया जाता है।

31. यह अपील इन शर्तों पर स्वीकार की जाती है। कोई खर्चा नहीं।

32. तदनुसार, डिक्री तैयार की जाए।

33. यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उसे भी निस्तारित समझा जाए।

… … … … … … … … … न्यायमूर्ति
(बी. आर. गवई)
… … … … … … … … … न्यायमूर्ति
(संदीप मेहता)

नई दिल्ली;
16 मई, 2024